प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या. 37/2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

परामर्श पत्र 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन' पर टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए समय का विस्तार ।

नई दिल्ली, 04 जुलाई 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 06 जून 2024 को "*राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन*" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2024 और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हो तो उसे प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि 18 जुलाई 2024 निर्धारित की गई थी।

2. हितधारकों/संघों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समयसीमा को आगे बढ़ाने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 01 और 15 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल द्वारा advbbpa@trai.gov.in तथा उसकी एक प्रति jtadvbbpa-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी अन्य स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अब्दुल कयूम, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण), से टेलीफोन नंबर +91-11-20907757 पर संपर्क किया जा सकता हैं।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा